

आदेश

निम्नलिखित आरक्षी नांपु० को उनके नाम के समुख अंकित नियुक्ति जनपद से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र० लखनऊ में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है। 03 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरान्त बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा के इन्हें इनके गहन जनपद के लिए वापस कर दिया जाय। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या: एएसपी-(ई-1)-०९(जनरल)/२०१४ दिनांक: ११.०१.२०१४ में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है:-

क्र०सं०	नाम/पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	आरक्षी नांपु० ८९२११०८२५ अंकलेश सिंह	बाराबंकी	वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र० लखनऊ
2	आरक्षी नांपु० ०६२४११८०४ रविसेन सिंह	इलाहाबाद	वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र० लखनऊ

(अर्विंद कुमार सिंह)

पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना,  
नि० पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना  
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,  
इलाहाबाद।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

संख्या:-पांच-३०८-२०१४/ १५।४३

दिनांक: जनवरी १३, २०१४

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी एवं इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त कर्मियों को तत्काल कार्यमुक्त कर सर्वसम्बन्धित सहित पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को भी अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को अवगत कराने का कष्ट करें।

2- आपुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त कर्मियों के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुए पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को भी अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो सम्बन्धित कर्मी को आगमन न कराते हुए तत्काल पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1 अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ०प्र० लखनऊ।
- 2 पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ।
- 3 पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक, उ०प्र० लखनऊ।
- 4 अनुभाग अधिकारी पांच को अभिलेखार्थ।